बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

संकल्प

संख्या – 8प/वि0–04–10/2023/7219/ पं०रा०, पटना, दिनांक–07/8/2024

विषय :– प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के स्थान पर पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी बनाये जाने के फलस्वरूप उन्हें सहयोग प्रदान करने हेतु प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति के रूप में नियुक्त करने तथा अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी को प्रशासनिक स्वीकृति की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के संबंध में।

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–9862 दिनांक – 14.10.2022 (मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–13.10.2022 में मद संख्या–04 के रूप में स्वीकृत) के द्वारा विभाग के नियंत्रणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की वित्तीय अधिसीमा के अंतर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नवत् किया गया था :–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रु० तक
2	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्	प्रशासनिक	एक करोड़ रु० तक
3	कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति	प्रशासनिक	तीस लाख रु० तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	बीस लाख रु० तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रु० तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रु० तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	तीस लाख रु० तक
8	कनीय अभियंता/ तकनीकी सहायक	तकनीकी	बीस लाख रु० तक

2. **मंत्रिपरिषद् की बैठक** दिनांक 06.08.2024 को मद संख्या 17 के रूप में सम्मिलित विभागीय **प्रस्ताव की स्वीकृति** प्रदान करते हुए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को अतिरिक्त कार्यपालक **पदाधिकारी**, पंचायत समिति अधिसूचित किया जाता है। उक्त निर्णय के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति को निम्नरूपेण प्रत्यायोजित किया जाता है :–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रु० तक
2	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्	प्रशासनिक	एक करोड़ रु० तक
3	कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति	प्रशासनिक	तीस लाख रु० तक
4	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी–सह–अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति	प्रशासनिक	पाँच लाख रु० तक
5	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	बीस लाख रु० तक
6	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रु० तक
7	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रु० तक
8	सहायक अभियंता	तकनीकी	तीस लाख रु० तक
9	कनीय अभियंता / तकनीकी सहायक	तकनीकी	बीस लाख रु० तक

3. पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–9862, दिनांक–14.10.2022 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

(हस्ताक्षर)

(मिहिर कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 8प / वि0–04–10 / 2023 / 7219 / पं०रा०, पटना, दिनांक–07/8/2024

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

(मिहिर कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 8प / वि0–04–10 / 2023 / 7219 / पं०रा०, पटना, दिनांक– 07 / 8 / 2024

प्रतिलिपि–सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी / सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 8प / वि0–04–10 / 2023 / 7219 / पं०रा०, पटना, दिनांक– 07 / 8 / 2024

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभाग के सभी पदाधिकारियों तथा सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 8प / वि0–04–10 / 2023 / 7219 / पं०रा०, पटना, दिनांक– 07 / 8 / 2024

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 300 (तीन सौ) प्रतियाँ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 8प / वि0–04–10 / 2023 / 7219 / पं०रा०, पटना, दिनांक– 07 / 8 / 2024

प्रतिलिपि–आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव